Next date of hearing 12.07.2023

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original application no. 920 of 2022

IN THE MATTER OF :

Minakshi Arora ...Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. ...Respondents

INDEX

Sl. No.	Particulars	Court fees
	Action Taken Report on behalf of Respondent no. 8 (MDDA)	

Filed on 11.07.2023

(**VINAY GARG**)
Counsel for the Respondent No. 8
C-253, F.F, Defence Colony
New Delhi
Ph. 41740212, 24333387
Clerk Mobile : 8527097582
E-mail: vinaygarg62@yahoo.co.in

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI
(Under Section 14 and 15 read with Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010)

Action Taken Report on Behalf of Respondent No. 8/MDDA

IN

OA No. 920 of 2022

Minakshi Arora, Aged 47 years, W/o Kesar Singh, 02 Tarai Ghati, Green Valley Enclave, Phase-3, Sahastradhara Road, Danda Lakhaur, Dehradun Uttarakhand-248013.

.......Applicant

1. State of Uttarakhand through the Chief Secretary Uttarakhand Secretariat, Dehradun-248001, Uttarakhand.
2. Ministry of Jal Shakti through the Secretary to the Government of India, Department of Water Resources, RD & GR e-Gov Cell, 6th Floor Cabin, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001.
3. Department of Revenue and Land Reforms through Additional Chief Secretary, 834F, Upper Nathanpur, Dehradun-248005.
4. Namami Gange Programme through Program Director, State Program Management Group, 117, Indira Nagar, Vasant Vihar, Dehradun-248006, Uttarakhand.
5. National Mission for Clean Ganga through Executive Director (Tech), 1st Floor, Major Dhyan Chand National Stadium, India Gate, New Delhi-110002.

Under Secretary
Mussoorie Dehradun Develpment Authority
Dehradun

6. District Magistrate, Dehradun, 15-17, Nardev Shastri Marg, Race Course, Dehradun, Uttarakhand, 248001.
7. Uttarakhand Pollution Control board (UPPCB) through Member Secretary, Gaura Devi Bhawan, 46 B IT Park Sahastradhara, Dehradun, Uttarakhand-248001.
8. Mussoorie Dehradun Development Authority (MDDA) through Vice Chairman, Transport Nagar, Saharanpur Road, Near ISBT, Dehradun-248001.
9. Uttarakhand Irrigation Department through Engineer-in-Chief, Yamuna Colony, Dehradun-248001.
10. Mr. Virendra Singh Arora, S/o Harcharan Arora, R/o 197/3, Landour Bazar Mussoorie, Dehradun, Uttarakhand-248179.

.... Respondents

1. That Mussoorie Dehradun Development Authority (hereinafter referred to as 'MDDA')/Respondent No. 8 is a statutory authority constituted under the Section 4 of the U.P. Urban Planning and Development Act, 1973 to carry out planned development in the development area declared by the State Government.

2. That the Development Authority takes action against any unauthorized and illegal constructions as per the provisions under the Act, 1973.

3. That the relevant portion of relevant provisions are quoted below:

   *"**Section 4 -***

   The Development Authority – (1) The State Government may by notification in the Gazette constitute for the

Under Secretary
Mussoorie Dehradun Develpment Authority
Dehradun

purposes of this Act, an authority to be called the 'Uttarakhand Housing and Urban Development Authority' for all the development areas in the State with headquarter at such place as the State Government may specify and Local Development Authority for any development area.

***Section** 7-*

Objects of the Authority - The objects of the local development authority shall be to promote and secure the development of the development area according to plan and for that purpose the local development authority shall have the power to acquire, hold, manage and dispose of land and other property, to carry out building, engineering, mining and other operations, to execute works in connection with the supply of water and electricity, to dispose of sewage and to provide and maintain other services and amenities and generally to do anything necessary or expedient for purposes of such development and for purposes incidental thereto:

Provided that save as provided in this Act nothing contained in this Act shall be construed as authorizing the disregard by the local development authority of any law for the time being in force.

Section 14-

Development of land in the developed area.- (1) After the declaration of any area as development area under Section 3, no development of land shall be undertaken or carried

Under Secretary
Mussoorie Dehradun Development Authority
Dehradun

out or continued in that area by any person or body (including a department of Government) unless permission for such development has been obtained in writing from the Vice-Chairman of the concerned Local Development Authority / Person (s) or Officer (s), designated to perform the functions under this Act, of the Urban Local Bodies and Village Panchayats declared as Local Development Authority / Local Authority under this Act or the State Authority, as the case may be in accordance with the provisions of this Act.

Section 27-

Order of demolition of building.- (1) Where any development has been commenced or is being carried on or has been completed in contravention of the Master Plan or without the permission approval or sanction referred to in Section 14 or in contravention of any conditions subject to which such permission, approval or sanction has been granted, in relation to the development area, then, without prejudice to the provisions of Section 26, the [Vice-Chairman of the concerned Local Development Authority/Person(s) or Officer(s) designated to perform the functions under this Act, of the Urban Local Bodies and Village Panchayats declared as Local Development Authority/ Local Authority under this Act] or any officer of the Authority empowered by him in that behalf may make an order directing that such development shall be removed by demolition, filling or otherwise by the owner thereof or by the person at whose instance the development has been

Under Secretary
Mussoorie Dehradun Development Authority
Dehradun

commenced or is being carried out or has been completed, within such period not being less than fifteen days and more than forty days from the date on which a copy of the order of removal, with a brief statement of the reasons therefore, has been delivered to the owner or that person as may be specified in the order and on his failure to comply with the order, the [Vice-Chairman of the concerned Local Development Authority/Persons(s) or Officer(s) designated to perform the functions under this Act, of the Urban Local Bodies and Village Panchayats declared as Local Development Authority/Local Authority under this Act] or such officer may remove or cause to be removed the development, and the expenses of such removal as certified by the [Vice-Chairman of the concerned Local Development Authority/Person(s) or Officer(s) designated to perform the functions under this Act, of the Urban Local Bodies and Village Panchayats declared as Local Development Authority/Local Authority under this Act] or such officer shall be recoverable from the owner of the person at whose instance the development was commenced or was being carried out or completed as arrears of land revenue and no suit shall lie in the Civil Court for recovery of such expenses:

Provided that no such order shall be made unless the owner or the person concerned has been given a reasonable opportunity to show-cause why the order should not be made."

Under Secretary
Mussoone Dehradun Development Authority
Dehradun

4. That MDDA took action against Shri Virendra Singh Arora/Respondent No. 10 by registering Case No. C-1449/S-6/2022 and issuing Notice dated 28.11.2022 under Section 27(1) of the Act for unauthorized plotting work being carried out in approximately 15 to 20 Bighas land adjacent to River Bank. The Respondent No. 10 was directed to remain present on 05.12.2022 and to submit his reply. Copy of Notice dated 28.11.2022 issued under Section 27(1) of the Act against Respondent No. 10 is being placed as **Annexure-1** to this report.

5. That on failure on the part of Respondent No. 10 to remain present the date of hearing was fixed on 09.01.2023.

6. That Respondent No. 10 on 09.01.2023 sought time by moving an application of the said date for collecting the documents. Copy of application dated 09.01.2023 along with its typed copy is being placed as **Annexure-2** to this report.

7. That on the application of Respondent No. 10 the case was fixed for hearing on 06.02.2023. On 06.02.2023 the Presiding Officer could not conduct hearing due to some administrative works and accordingly fixed 27.02.2023 as the next date. However, the Respondent No. 10 remained absent on the said date.

8. That on 27.02.2023 the Presiding Officer was busy in other administrative works due to which hearing could not take place and thereafter the matter was fixed for hearing on 24.04.2023 and subsequent thereto on 15.05.2023.

Under Secretary
Mussoorie Dehradun Develpment Authority
Dehradun

9. That on 15.05.2023 the Respondent No. 10 submitted an application in the said matter stating that he is not well and further wanted to get the matter compounded and accordingly sought time. Taking into consideration the application of the Respondent No. 10 the matter was adjourned to 05.06.2023. Copy of application dated 15.05.2023 along with its typed copy is being placed as **Annexure-3** to this report.

10. That on 05.06.2023 the Respondent No. 10 again submitted an application and further sought time for getting the said matter compounded but did not produce any documents with regard to his unauthorized construction/plotting. Copy of the application dated 05.06.2023 of the Respondent No. 10 along with its typed copy is being placed as **Annexure-4** to this report.

11. That on 05.06.2023 the Presiding Officer of the Authority sought a detailed report from the concerned Junior Engineer/Assistant Engineer of the area, who vide their report dated 06.07.2023 submitted that the Respondent No. 10 has carried out the unauthorized construction with regard to demarcation of the plots without getting a Layout Plan sanctioned from the Authority and recommended demolition of the same.

12. That on the aforesaid office report and recommendation of the Junior Engineer and Assistant Engineer, the Presiding Officer issued order of demolition dated 10.07.2023 to the Respondent No. 10 to demolish the unauthorized construction within 15 days from the date of the passing of the order, and in case of failure to do the same the Authority will demolish the same and the expenses incurred for the said demolition will be recovered as arrears of Land

Secretary
Mussoorie Dehradun Development Authority
Dehradun

Revenue. Copy of Demolition Order dated 10.07.2023 is being placed as **Annexure-5** to this report.

13. That Shri Virendra Singh Arora/Respondent No. 10 has also constructed a Residential House at Village Dhanola, Shastradhara, Dehradun, without getting a map sanctioned from the Authority, against which MDDA has issued Notices dated 01.03.2023 under Section 27(1) and 28(1) of the Act by registering Case No. R-0371/S-6/23. Copy of Notice dated 01.03.2023 issued under Section 27(1) of the Act is being placed as **Annexure-6** to this report.

14. That pursuant to the said notice dated 01.03.2023 the Respondent No. 10 was directed to remain present before the Presiding Officer of the Authority on 15.03.2023. On the said date fixed the Respondent No. 10 failed to remain present and accordingly the date was adjourned to 03.04.2023.

15. That on 03.04.2023 Respondent No. 10 submitted an application for adjourning the date on the ground of his sickness. Copy of application dated 03.04.2023 along with its typed copy is being placed as **Annexure-7** to this report.

16. That on the application of the Respondent No. 10 the matter was adjourned to 25.04.2023, on which date he remained absent and accordingly the date was further adjourned to 16.05.2023.

17. That on 16.05.2023 the matter was adjourned and a report was sought by the Presiding Officer from the concerned Junior Engineer

Under Secretary
Mussoorie Dehradun Develpment Authority
Dehradun

and Assistant Engineer of the Authority with regard to the said construction.

18. That the concerned Junior Engineer and Assistant Engineer of the Authority submitted their report dated 28.06.2023 clearly stating that the construction in question is within 30 Mtrs. from the bank of River which is not even compoundable as per byelaws and recommended demolition of the same.

19. That pursuant to the aforesaid report dated 28.06.2023, the Presiding Officer passed orders of demolition dated 10.07.2023 against the Respondent No. 10 to demolish the unauthorized construction within 15 days from the passing of the order and in case of failure to do so the Authority shall demolish the same and the expenses incurred for demolition and removal shall be recovered as arrears of Land revenue. Copy of order of demolition dated 10.07.2023 is being placed as **Annexure-8** to this report.

20. That action against the unauthorized plotting and unauthorized residential construction so raised by Respondent No. 10 has already been initiated under the provisions of the Act.

21. That the action taken report against the construction so raised by the Respondent No. 10 be taken on record.

Submitted.

Under Secretary
MDDA

Under Secretary
Mussoorie Dehradun Develpment Authority
Dehradun

4620
1/12/22

कार्यालय मसूरी – देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

(प्रपत्र – क)

कारण बताओ नोटिस

Challan No: 23106

C-1449/2022 Sector 6 दिनांकः 28/11/2022

सेवा में,

Mr. Vijendra Arora | अरोड़ा

Sahastradhara Near Jheel, Dehradun

उत्तराखंण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम , 1973 की धारा 27 (1) के अधीन नोटिस जो की आपके द्वारा उपरोक्त की धारा (14) में वर्णित आज्ञा / अनुज्ञा / स्वीकृति प्राप्त किये बिना या प्राप्त अनुज्ञा / स्वीकृति के शर्तो का उल्लंघन करते हुए (शर्तो का उल्लेख किया जाए)

"स्थल पर लगभग 15–20वीघा भूमि पर नदी के किनारे प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है।"

स्थल : Sahastradhara Near Jheel

कार्य का विवरण दे : **"स्थल पर लगभग 15–20वीघा भूमि पर नदी के किनारे प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है।"** का अनाधिकृत विकास कार्य / निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है / कर रहे है / पूरा कर लिया गया है । तथा जिसका नक्शा साजरी निम्न है ।

सीमायें

पूरब	पश्चिम
उत्तर	दक्षिण

तथा जिसका किया जाना उपरोक्त अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दंण्डनीय अपराध भी है । अतः उपरोक्त धारा 26 के अधीन अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडे बिना आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप इस प्राधिकरण के अधि0अभि0 / सचिव / उपाध्यक्ष कार्यालय मे दिनांक Dec 5, 2022 पूर्वाहन / अपराहन (समयः 11:00) स्वंय अथवा अपने यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होकर कारण बतायें तथा आवश्यक सबूत पेश करे कि आप द्वारा किया गया उपरोक्त निर्माण को ध्वस्त कर देन या अन्य तरह से हटा देने के आदेश क्यों ना दिये जाएँ।

सहा0अभि0 / सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
ट्रांसपोर्ट नगर , सहारनपुर रोड,
देहरादून

टिप्पणी :– आपका ध्यान उपरोक्त अधिनियम की धारा 26(1) की और भी दिया जाता है जिसके अधीन आप उपरोक्त कृत्य के लिए अर्थदंड के भागी भी हो सकतें है जो ₹50,000.00 (पचास हजार रूपयें) तक हो सकता है और जारी रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त अर्थ दंड जो उस प्रत्येंक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा अपराध उसके प्रथम बार दोष सिद्ध होने के पश्चात जारी रहता है ₹500.00 (पाच सौ रूपये) प्रतिदिन हो सकेगा के लिए दंण्डनीय हो सकता है ।

नोट : वादी सुनवाई में आने से पूर्व प्राधिकरण की वेब साईट https://mddaonline.org.in/mdda पर अपना registration करना सुनिश्चित करें।

उक्त स्थल की अद्यतन फोटो भी आपको संलग्न कर भेजी जा रही है ।

रंजीत

Under Secretary
Mussoorie Dehradun Development Authority
Dehradun

-05

ANNEXURE-2
दि० - 09-01-2023

सेवा में

श्रीमान सहा० अभियंता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून

विषय :- वाद सं० 1449/5-6/2022

महोदय

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी को उपरोक्त वाद में 06-01-2023 को नोटिस दिया गया था जिसमें आज दि 9-1-23 को प्रपत्र लेकर उपस्थित होने का निर्देश था आपसे निवेदन है कि प्रार्थी को प्रपत्र एकत्र करने हेतु समय देने की कृपा करें।

धन्यवाद

प्रार्थी

(signature)

बिरेन्द्र सिंह अरोड़ा
धनौला, सहस्त्रधारा
देहरादून
मो० - 9627661313

(signature)
Under Secretary
Mussoorie Dehradun Develpment Authority
Dehradun

T/c copy.

दिनाँक 09—01—2023

सेवा में,

श्रीमान सहा0 अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

विषयः— वाद संख्या 1449 / एस—6 / 2022

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी की उपरोक्त वाद में 06—01—2023 को नोटिस दिया गया था, जिसमें आज दिनाँक 09—01—2023 को प्रपत्र लेकर उपस्थित होने का निर्देश था।

आपसे निवेदन है कि प्रार्थी को प्रपत्र एकत्र करने हेतु समय देने की कृपा करे।

धन्यवाद

प्रार्थी

ह0 / —
विरेन्द्र सिंह अरोड़ा
धनौला, सहसत्रधारा, देहरादून
मो0:— 9627661313

Under Secretary
Mussoorie Dehradun Develpment Authority
Dehradun

दिनांक - 15/05/2023

-10-

ANNEXURE - 3

सेवा में,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

देहरादून, उत्तराखण्ड,

विषय :- वाद संख्या C-1449/2022 उपस्थित होने में असमर्थ

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी विरेन्द्र सिंह, निवासी धनौला, सहस्त्रधारा, देहरादून अस्वस्थ होने के कारण उपस्थित होने में असमर्थ है।

प्रार्थी अपने Architect से मिलकर compounding कराना चाहता है। कृपया करके इसके लिए प्रार्थी को समय दिया जाए।

धन्यवाद।

प्रार्थी

विरेन्द्र सिंह

[signature]

Under Secretary
Mussoorie Dehradun Develpment Authority
Dehradun

T/C Colly

दिनाँक 15—05—2023

सेवा में,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

विषयः— वाद संख्या सी—1449 / 2022 उपस्थित होने में असमर्थ।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी विरेन्द्र सिंह, निवासी धनौला, सहसत्रधारा, देहरादून अस्वस्थ होने के कारण उपस्थित होने में असमर्थ है।

प्रार्थी अपने Architect से मिलकर Compounding कराना चाहता है। कृपया करके इसके लिए प्रार्थी को समय दिया जाय।

धन्यवाद

प्रार्थी
ह0 / —
विरेन्द्र सिंह

Under Secretary
Mussoone Dehradun Develpment Authority
Dehradun

ANNEXURE-4

-11-

सेवा में

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून, उत्तराखण्ड

विषय:- वाद संख्या C-1449/2022 उपस्थित होने में असमर्थ

महोदय

विनेदन इस प्रकार से है प्रार्थी विरेन्द्र सिंह निवासी धनौला, सहस्त्रधारा, देहरादून अस्वस्थ होने के कारण उपस्थित होने में असमर्थ है। प्रार्थी आपने Architect से मिलकर compounding करना चाहता है कृपया करके इसके लिए प्रार्थी को समय दिया जाए।

9027880577

धन्यावाद

प्रार्थी
विरेन्द्र सिंह

दिनांक - 5/06/2023

AE
संजय कु० मिश्रा
आवश्यक कार्यवाही हेतु
5/6/23

Under Secretary
Mussoorie Dehradun Develpment Authority
Dehradun

 T/c Colly

दिनाँक 05–06–2023

सेवा में,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषयः– वाद संख्या सी–1449/2022 उपस्थित होने में असमर्थ।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार से है कि प्रार्थी विरेन्द्र सिंह, निवासी धनौला, सहसत्रधारा, देहरादून अस्वस्थ होने के कारण उपस्थित होने में असमर्थ है।

प्रार्थी अपने Architect से मिलकर Compounding कराना चाहता है। कृपया करके इसके लिए प्रार्थी को समय दिया जाय।

धन्यवाद

प्रार्थी
ह0/–
विरेन्द्र सिंह

Under Secretary
Mussoorie Dehradun Develpment Authority
Dehradun

ANNEXURE-5

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(अनधिकृत निर्माण/विकास कार्य का ध्वस्तीकरण आदेश)

पत्रांक : 1932 /वाद सं0 सी–1449/एस–6/2022 दिनांक: 10.7.2023

श्री विजेन्द्र अरोड़ा,
सहस्त्रधारा,
नियर–जंगली रेस्टोरेन्ट के सामने,
देहरादून।

विपक्षी श्री विजेन्द्र अरोड़ा सहस्त्रधारा नियर– जंगली रेस्टोरेन्ट के सामने देहरादून, द्वारा उपरोक्त वर्णित स्थल पर लगभग 15–20 बीघा क्षेत्रफल में रिवर साइड डेवलेपमेन्ट विकास कार्य एवं प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है। स्थल पर कोई स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाये जाने के कारण उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस जारी कर कार्यवाही करते हुये प्राधिकरण में वाद सं0 सी–1449/एस–6/2022 योजित किया गया है। स्थल पर नोटिस दिनांक 03.12.2022 को प्राप्त किया गया है, तथा वाद में सुनवाई हेतु दिनांक 05.12.2022 की तिथि नियत की गई ।

उक्त नोटिस के द्वारा आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 05.12.2022 की तिथि नियत करते हुये सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। नियत तिथि को आप अनुपस्थित रहे। इसके उपरान्त सुनवाई हेतु विभिन्न तिथियां नियत की गई जिसमे विपक्षी उपस्थित/अनुपस्थित रहे। सहायक अभियन्ता की आख्या दिनांक 06.07.2023 के क्रम में विपक्षी द्वारा स्थल पर मार्ग विकास व चिन्ही करण का कार्य बिना स्वीकृति के किया जा रहा है जिसको तत्काल ध्वस्त किया जाना ही एक मात्र विकल्प शेष है, विपक्षी द्वारा चालान शुदा निर्माण के सम्बन्ध मे कोई ठोस जबाब/प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी जानबुझ कर वाद को लम्बित रखना चाहता है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तराखण्ड प्रदेश (उ0प्र0 नगर, योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया गया है। चालान शुदा निर्माण को ध्वस्त किये जाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

अतः उक्त परिस्थितियों में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन उपरान्त आपके अवैध निर्माण के विरूद्व ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किया जाना ही विधि सम्मत है।

–आदेश–

विपक्षी श्री विजेन्द्र अरोड़ा सहस्त्रधारा नियर– जंगली रेस्टोरेन्ट के सामने देहरादून, द्वारा उपरोक्त वर्णित स्थल पर लगभग 15–20 बीघा क्षेत्रफल में रिवर साइड डेवलेपमेन्ट विकास कार्य एवं प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है। स्थल पर कोई स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया। विपक्षी द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः चालानशुदा किये गये निर्माण को ध्वस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। नोटिस जारी होने के 15 दिन के अन्दर ध्वस्तीकरण कार्यवाही को सम्पादित करते हुऐ इस कार्यालय अवगत कराये। अन्यथा ध्वस्त न किये जाने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा स्वंय अपने स्तर से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी जिस पर होने वाला सम्पूर्ण हर्जा–खर्चा आपसे भू–राजस्व की भांति वसूल किया जायेगा।

10/7/23

सयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

Under Secretary
Mussoorie Dehradun Develpment Authority
Dehradun

Uttrakhand Housing & Urban Development Authority
Department of Housing, Govt. of Uttarakhand
Rajeev Gandhi Multipurpose Complex, Dispensary Road
Dehradun – 248001 Telefax – 0135-2719500

MUSSOORIE DEHRADUN DEVELOPMENT AUTHORITY
Transport Nagar, Saharanpur road, Near ISBT,
Dehradun-248001 (Uttaranchal) INDIA

ANNEXURE-6

कारण बताओ नोटिस

पत्रांक 3802

आदेश / वाद संख्या :UCMS/MDDA/R/0371/2023/27(I) दिनांक: 01/03/2023
Sector-6

Mr. Virendra Singh Arora
Vill Dhanola Sahastradhara

उत्तराखंण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम , 1973 की धारा 27 (1) के अधीन नोटिस जो की आपके द्वारा उपरोक्त की धारा (14) में वर्णित आज्ञा / अनुज्ञा / स्वीकृति प्राप्त किये बिना या प्राप्त अनुज्ञा / स्वीकृति के शर्तो का उल्लंघन करते हुए (शर्तो का उल्लेख किया जाए)
स्थल पर लगभग 80फिट गुणा 100फिट क्षेत्रफल में आवासीय भवन का निर्माण किया जा रहा है। स्वीकृत मानचित्र नही दिखाया।

स्थल : Vill Dhanola Sahastradhara

सीमायें East - 0 West - 0
North - 0 South - 0

कार्य का विवरण दे : स्थल पर लगभग 80फिट गुणा 100फिट क्षेत्रफल में आवासीय भवन का निर्माण किया जा रहा है। स्वीकृत मानचित्र नही दिखाया।

का अनाधिकृत विकास कार्य / निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है / कर रहे है / पूरा कर लिया गया है। तथा जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

तथा जिसका किया जाना उपरोक्त अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दंण्डनीय अपराध भी है। अतः उपरोक्त धारा 26 के अधीन अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडे बिना आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप इस प्राधिकरण के अधि0अभि0 / सचिव / उपाध्यक्ष कार्यालय मे दिनांक Mar 15, 2023 पूर्वाहन / अपराहन (समयः 11:00am) स्वंय अथवा अपने यथाविधि प्राधिकृत अपने यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होकर कारण बतायें तथा आवश्यक सबूत पेश करे कि आप द्वारा किया गया उपरोक्त निर्माण को ध्वस्त कर देन या अन्य तरह से हटा देने के आदेश क्यों ना दिये जाएँ।

उपाध्यक्ष / सचिव / संयुक्त सचिव / सहायक अभियंता

नोटः—

1) आपका ध्यान उपरोक्त अधिनियम की धारा २६(१) की और दिलाया जाता है जिसके अधीन आप उपरोक्त कृत्य के लिए अर्थदंड के भागी भी हो सकतें है जो ५०००० (पचास हजार रूपयें) तक हो सकता है और जारी रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त अर्थ दंड जो उस प्रत्येंक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा अपराध उसके प्रथम बार दोश सिद्ध होने के पश्चात जारी रहता है २५०० (दो हजार पाच सौ रूपये) प्रतिदिन हो सकेगा के लिए दंण्डनीय हो सकता है।

2) आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा २६ (३) की ओर दिलाया जाता है जिसकी अधीन आप जैसे व्यक्ति जो उपरोक्त अधिनियम की धारा २५ के अधीन किसी भूमि या भवन में प्रवेश पाने को अधिकृत है, के प्रवेश में बाधा डालता है अथवा ऐसे प्रवेश के पश्चात ऐसे व्यक्ति को उत्पीड़ित करते है तो आप कारावास से जिसकी अवधी ६ मॉस तक हो सकती है या जुरमाना रुपये १००० (एक हजार) तक का हो सकता है अथवा दोनों के दंडनीय होंगे।

३) वादी सुनवाई में आने से पूर्व प्राधिकरण की वेब साईट https://uhuda.org/easeapp/ पर अपना registration करना सुनिश्चित करें।

उक्त स्थल की अद्यतन फोटो भी आपको संलग्न कर भेजी जा रही है ।

Digitally signed by SHAILENDRA SINGH RAWAT
Date: 2023.03.01 13:18:44 +05:30
Reason: Unauthorized Construction Notice
Location: Dehradun

महोदय- विरेन्द्र सिंह अरोडा। स्थल पर नहीं मिले नोटिस सा० कर्मचारी ने प्राप्त किया। MHE 12/03-23

Under Secretary
Mussoorie Dehradun Develpment Authority
Dehradun

ANNEXURE-7

-05-

दि० 03-04-2023

सेवा में

श्रीमान सहा० अभियंता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून

विषय - वाद सं० R-0371/S-6/2023

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी को उपरोक्त वाद में सुनवाई हेतु आज का समय दिया गया था परन्तु प्रार्थी अभी बीमार है, और इलाज गंगाराम अस्पताल दिल्ली से चल रहा है, अतः उपस्थित होने में असमर्थ है।

समय लेने हेतु आपसे प्रार्थना है कि सुनवाई के लिए समय देने का कष्ट करें।

प्रार्थी

विरेन्द्र सिंह
नि० धनौला, सहस्त्रधारा
देहरादून

Under Secretary
Mussoorie Dehradun Develpment Authority
Dehradun

T/C Colly

दिनाँक 03—04—2023

सेवा में,

श्रीमान सहा0 अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

विषयः— वाद संख्या आर—0371/एस—6/2023

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी की उपरोक्त वाद में सुनवाई हेतु आज का समय दिया गया था परन्तु प्रार्थी अभी बीमार है, और इलाज गंगाराम अस्पताल, दिल्ली से चल रहा है। अतः उपस्थित होने में असमर्थ है।

समय लेने हेतु आपसे प्रार्थना है कि सुनवाई के लिए समय देने का कष्ट करें।

प्रार्थी

ह0/—
विरेन्द्र सिंह
नि0 धनौला, सहसत्रधारा,
देहरादून

Under Secretary
Mussoorie Dehradun Development Authority
Dehradun

ANNEXURE- 8

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
(अनधिकृत निर्माण/विकास कार्य का ध्वस्तीकरण आदेश)

दिनांकः 10-7-2023

पत्रांक : 1931 /वाद सं0 आर–0371/एस–6/2023

श्री विजेन्द्र सिंह अरोड़ा,
ग्राम– धनौला सहस्त्रधारा,
निकट–जंगली कैफै के नीचे नदी के किनारे,
देहरादून।

विपक्षी श्री विजेन्द्र सिंह अरोड़ा ग्राम– धनौला सहस्त्रधारा निकट–जंगली कैफै के नीचे नदी के किनारे देहरादून, द्वारा उपरोक्त वर्णित स्थल पर लगभग 80 गुणा 100 फिट क्षेत्रफल में आवासीय भवन का निर्माण किया जा रहा है। स्थल पर कोई स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाये जाने के कारण उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस जारी कर कार्यवाही करते हुये प्राधिकरण में वाद सं0 आर–0371/एस–6/2023 योजित किया गया है। स्थल पर नोटिस दिनांक 12.03.2023 को प्राप्त किया गया है, तथा वाद में सुनवाई हेतु दिनांक 15.03.2023 की तिथि नियत की गई ।

उक्त नोटिस के द्वारा आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 15.03.2023 की तिथि नियत करते हुये सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। नियत तिथि को आप अनुपस्थित रहे। इसके उपरान्त सुनवाई हेतु विभिन्न तिथियां नियत की गई जिसमे विपक्षी उपस्थित/अनुपस्थित रहे। सहायक अभियन्ता की आख्या दिनांक 28.06.2023 के क्रम में विपक्षी द्वारा पत्रावली में कोई भी स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया। एवं प्रश्नगत निर्माण नदी छोड़ के 30 मीटर के अन्तर्गत आ रहा है जो की शमन योग्य नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी जानबुझ कर वाद को लम्बित रखना चाहता है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तराखण्ड प्रदेश (उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया गया है। चालान शुदा निर्माण को ध्वस्त किये जाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

अतः उक्त परिस्थितियों में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन उपरान्त आपके अवैध निर्माण के विरूद्व ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किया जाना ही विधि सम्मत है।

–आदेश–

विपक्षी श्री विजेन्द्र सिंह अरोड़ा ग्राम– धनौला सहस्त्रधारा निकट–जंगली कैफै के नीचे नदी के किनारे देहरादून, द्वारा उपरोक्त वर्णित स्थल पर लगभग 80 गुणा 100 फिट क्षेत्रफल में आवासीय भवन का निर्माण किया जा रहा है। स्थल पर कोई स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया। विपक्षी द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः चालानशुदा किये गये निर्माण को ध्वस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। नोटिस जारी होने के 15 दिन के अन्दर ध्वस्तीकरण कार्यवाही को सम्पादित करते हुए इस कार्यालय अवगत कराये। अन्यथा ध्वस्त न किये जाने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा स्वंय अपने स्तर से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी जिस पर होने वाला सम्पूर्ण हर्जा–खर्चा आपसे भू–राजस्व की भांति वसूल किया जायेगा।

10/7/23

सयुंक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

Under Secretary
Mussoorie Dehradun Develpment Authority
Dehradun

Gmail **Vinay Garg <office.vgarg@gmail.com>**

OA No. 920 of 2022-Minakshi Arara vs. State of Uttarakhand & Ors. - NGT

1 message

Vinay Garg <office.vgarg@gmail.com> Tue, Jul 11, 2023 at 2:09 AM
To: "litigation.life@gmail.com" <litigation.life@gmail.com>, rahulverma9999@rediffmail.com, Mukesh Verma <mvermadv@gmail.com>

Dear Sir's,

Please find attached a scanned copy of Action Taken Report by MDDA Respondent No. 8.

Regards
Vinay Garg
Counsel for Respondent No. 8

Minakshi Arora MDDA Action taken report.pdf
3732K